

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -4 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी क्षेत्र के कृषकों की कृषि उपज के विपणन व्यवस्था हेतु कृत संकल्पित है इसमें मण्डी समिति में आये कृषकों की कृषि उपज की खुली नीलामी के माध्यम से उनकी उपज का विक्रय करा कर कृषक की उपज की सही तौल एवं उसी दिन उनको नगद भुगतान दिलाया जाना मण्डी का प्रमुख कर्तव्य हैं ।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	उपरोक्त कार्य हेतु मण्डी के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी संलग्न रहकर कार्य करते हैं । इसके लिये अधिकारी कर्मचारी मण्डी अधिनियम 1972 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों का पालन करते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य का सम्पादन करते हैं ।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	1.प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,भोपाल 2. उपसंचालक,म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय,भोपाल 3 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा
4	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	निरंक
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड / उपसंचालक,म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय,भोपाल एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश मध्यप्रदेश कर्मचारी आचरण संहिता एवं अन्य अनुदेश
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं। प्रवर्गों का विवरण	मण्डी में कार्यरत् कार्यालय / प्रांगण में कार्यरत् समस्त कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली एवं उनके समस्त प्रकरणों का निराकरण समस्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के संधारण के कार्य
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीती की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है	लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाहन
8	ऐसे बोर्डों ,परिषदों,समितियों, और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,	निरंक

	जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	मण्डी बोर्ड एवं शासन के आदेशों के अनुरूप
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अर्न्तगत प्रतीक प्रणाली भी है जो उस विनियमों में यथा उपबंधित हो	निरंक
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	निरंक
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा में मा0मुख्य मंत्री हम्माल तुलावटी सहायता योजना लागू है तथा पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियों	आवेदनकर्ता द्वारा कार्यालय से संबंधित जो भी जानकारी चाही जाती है कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर प्रदान करा दी जाती है।
14	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हों या धारित हों	नहीं
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के लिये यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण के घंटे सम्मिलित है	कार्यालयीन समय में

16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	1. प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,भोपाल 2. उपसंचालक,म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय,भोपाल सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये	निरंक

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
विदिशा